HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 12030/2026
CNR: RJHC020335232026 | URN: CW / 2123U / 2026

Pramjeet Singh @ Chota S/o Shri Harbansh Singh, Aged About 36 Years, R/o Lalawandi, Police Station Ramgarh, District Alwar (Raj.) (At Present In Open Air Camp Alwar) Through His Younger Ranjeet Singh S/o Shri Harbansh Singh, Aged About 34 Years R/o Lalawandi, Police Station Ramgarh, District Alwar (Raj.) 301026

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through The Secretary Home, Secretariat, Jaipur.
2. The Prisoners Parole Advisory Committee (State Committee), Through Its Chairman, Director General Of Prisons, Rajasthan.
3. Superintendent Central Jail, Alwar.
4. The District Magistrate, Alwar.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Vishram Prajapati
For Respondent(s) : Mr. R.S.Shekhawat, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

23/07/2026

यह रिट याचिका याची/बंदी की ओर से स्थायी (Permanent) पैरोल पर रिहा (release) किये जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। याची–बंदी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची को विचारण न्यायालय, अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या–01, अलवर द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 304 भाग I एवं 341 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाकर 07 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा वर्तमान में वह अभिरक्षा है। उनका तर्क रहा कि याची की ओर से स्थायी पैरोल हेतु जेल अधीक्षक, केन्द्रीय

कारागृह, अलवर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 6.4.2026 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि याची द्वारा तीन नियमित पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है, जो पैरोल के नियमों में आवश्यक है। उनका तर्क है कि याची ने सात वर्ष की सजा के एवज में लगभग 05 वर्ष 02 माह 7 दिन की सजा भुगत ली है। इस प्रकार याची, उसे दिये गये कारावास की अवधि में से 2/3 अवधि अभिरक्षा में व्यतीत कर चुका है और सजा भुगतने की दृष्टि से वह पैरोल नियमों के अन्तर्गत स्थाई पैरोल का पात्र हो चुका है। अतः केवल पूर्व में तीन नियमित पैरोल का लाभ नहीं लिये जाने जैसे तकनीकी आधार पर उसे स्थायी पैरोल दिये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। जेल प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में याची का आचरण संतोषप्रद होना अंकित किया गया है। अतः स्थाई पैरोल का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये हैं–

1. Suresh & others Vs. State of Rajasthan, 2011 (3) WLC 643
2. Suraj Giri Vs. State of Rajasthan & others, 2011 Criminal Law Journal-1534

विद्वान लोक अभियोजक ने इन तर्कों का विरोध किया और प्रकट किया कि राजस्थान बंदी कारावकाश पर रिहा नियम 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थायी पैरोल का लाभ दिये जाने से पूर्व बंदी द्वारा तीन नियमित पैरोल का उपभोग किये जाने और दी गई कुल सजा अवधि में से 2/3 अवधि की सजा भुगत लिये जाने की शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है। वर्तमान मामले में याची ने तीन नियमित पैरोल का उपभोग नहीं किया है और इसी आधार पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसका प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः याचिका निरस्त की जावे।

हमने प्रस्तुत तर्क–वितर्क पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

याची को विचारण न्यायालय, अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या–01, अलवर द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 304 भाग I एवं धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाकर 07 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, उसमें से याची लगभग 5 वर्ष और 2 माह 7 दिन की अवधि कारावास में व्यतीत कर

चुका है, इस प्रकार याची ने उसे दी गई कुल सजा में से 2/3 अवधि की सजा पूर्ण कर ली है।

जहॉ तक बंदी द्वारा नियमित तीन पैरोल का उपभोग नहीं किये जाने के आधार पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसका स्थायी पैरोल का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का प्रश्न है, इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय **Suresh & others Vs. State of Rajasthan,** reported in **2011 (3) WLC 643**, का निम्न अभिमत महत्वपूर्ण व सुसंगत है :

Division Bench of this Court had held that on the technical ground that the petitioner has not availed three permanent paroles is not a good ground to deny the parole until some adverse material is brought on record that if the petitioner is released on parole, the same with cause disturbance in the society.

इसी प्रकार न्यायिक निर्णय **Suraj Giri Vs. State of Rajasthan & others,** reported in **2011 Criminal Law Journal-1534**, में यह निर्णीत किया गया है कि :

It has been observed by the Court that non-availing of three or any of paroles by the prisoner itself is not a sound ground for refusal of permanent parole.

इस प्रकार उक्त न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट अभिनिर्धारित किया गया है कि तीन नियमित पैरोल का उपभोग नहीं किया जाना एक तकनीकी आधार है और इसे स्थाई पैरोल से इनकारी का मजबूत आधार नहीं माना जा सकता है।

वर्तमान मामले में यह विवादित नहीं है कि याची द्वारा प्रथम नियमित पैरोल 20 दिवस का उपभोग किया जाकर समय पर कारागृह में समर्पण किया गया है और प्रथम पैरोल की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। जेल प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अभिरक्षा की अवधि के दौरान याची का आचरण संतोषप्रद होना अंकित किया गया है। पैरोल का लाभ दिये जाने के संबंध में संबंधित कारागृह की कोई प्रतिकूल टिप्पणी/रिपोर्ट भी नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन एवं प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों की रोशनी में याची–बंदी को स्थाई पैरोल का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह पैरोल रिट याचिका स्वीकार की जाती है एवं कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अलवर द्वारा याची–बंदी का स्थाई पैरोल का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का आदेश दिनांकित 6.4.2026 निरस्त किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि याची–बंदी यदि **दो सप्ताह की अवधि** में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एक लाख रूपये का निजी बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानतें इन शर्तों के साथ प्रस्तुत करे कि वह दौराने **स्थायी पैरोल** (Permanent parole) किसी प्रकार की अवांछनीय एवं आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा, पैरोल की अवधि में शांति व सौहार्द बनाये रखेगा एवं संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा तो उसे स्थाई पैरोल पर रिहा कर दिया जाए।

पैरोल की अवधि के दौरान याची–बंदी का किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि में लिप्त पाये जाने अथवा अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उसे बकाया सजा भुगतने के लिये बुलाया जा सकेगा।

(SHUBHA MEHTA),J

81/JITENDRA SINGH PANWAR